"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 276] रायपुर, शनिवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2005—कार्तिक 7, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2005

अधिसूचना

क्रमांक 8356/1929/21-ब/छ.ग./05.—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 3 के उपनियम (2) के खण्ड (क) से (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाये :—

(क) अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति.

(ख) राज्य के महाधिवक्ता.

(ग) मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन.

(घ) वित्त विभाग का प्रभारी सचिव.

(ङ) गृह विभाग का प्रभारी सचिव.

(च) विधि और विधायी कार्य विभाग का प्रभारी सचिव.

(छ) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार जनरल.

(ज) छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग एवं छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष.

(झ) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद्.

(ञ) पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़.

(ट) अभियोजन संचालक.

(ठ) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ, बिलासपुर ; और

(ड) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित जिला प्राधिकरण के दो अध्यक्ष.

(ढ) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का सदस्य सचिव.

Raipur, the 29th October 2005

NOTIFICATION

No. 8356/1929/XXI-B/C.G./05.—In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) and in consultation with the Chief Justice of Chhattisgarh High Court, the State Government hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh State Legal Services Authority Rules, 2002, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. For clause (a) to (m) of sub-rule (2) of rule 3, the following clause shall be substituted :—

(a) Chairman, High Court Legal Service Committee.

(b) Advocate General of the State.

(c) The Chief Secretary, Government of Chhattisgarh.

(d) The Secretary in-charge of the Department of Finance.

(e) The Secretary in-charge of the Department of Home.

(f) The Secretary in-charge of the Department of Law and Legislative Affairs.

(g) The Registrar General of Chhattisgarh High Court.

(h) Chairman of Chhattisgarh Rajya Anusuchit Janjati Ayog and Chhattisgarh Rajya Anusuchit Jati Ayog.

(i) Chairman, State Bar Council of Chhattisgarh.

(j) Director General of Police, Chhattisgarh.

(k) Director of Prosecution.

(l) President, Chhattisgarh High Court Bar Association, Bilaspur; and

(m) Two Chairman of the District Authority as may be nominated by the State Government in consultation with the Chief Justice of Chhattisgarh High Court.

(n) Member Secretary of the Authority appointed under sub-section (3) of Section 6 of the Act.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.